



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8445

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19407 सन् 2025

विजयी पाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

अमित कुमार सत्संगी, ऋषभ कुमार

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार और राज्य कि ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना।
- याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनकी नियुक्ति 08.02.2008 को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी (सफाईकर्मी) के पद पर हुई थी, लेकिन अब 21.11.2025 के आदेश के अनुसार उन्हें पांचवें प्रत्यर्थी, कमांडेंट, 48वीं भारतीय रक्षा बटालियन, सोनभद्र द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि 21.11.2025 को जब उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि शौचालय और कुछ अन्य स्थान साफ नहीं थे।
- उक्त निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि निलंबन आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, खासकर तब जब याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार नहीं किया है; दूसरे, केवल शौचालय और कुछ स्थानों की साफ-सफाई न होना निलंबन का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब जब आरोपों को सही मान लिया जाए तो केवल मामूली सजा ही दी जा सकती है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि वह जांच में सहयोग करेंगे।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कदाचार करने का आदी है, पहले भी वह किसी अधिकारी के शयनकक्ष में घुस चुका है और दूसरी बात यह है कि स्वच्छता बनाए रखना उसका कर्तव्य है।

6. मैंने बार में दिए गए इस प्रकार के निवेदन को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

7. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ अधिकारी (दंड एवं अपील) नियम, 1991 के अंतर्गत आती थीं। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को 21.11.2025 को निलंबित किया गया था। यह विवादित नहीं है कि चुनौती दिए गए आदेश में लगाए गए आरोप 21.11.2025 की घटना से संबंधित हैं, जब शौचालय और कुछ अन्य स्थान साफ नहीं पाए गए थे। जब विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा से पूछा गया कि क्या कोई गंभीर दंड लगाया जा सकता है, तो उनका उत्तर नकारात्मक था। इसके अलावा, शयनकक्ष में जबरदस्ती घुसने का आरोप याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आधार नहीं है।

8. प्रथम दृष्टया, न्यायालय की राय है कि निरंतर निलंबन उचित नहीं है।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:

(ए) चौथे प्रत्यर्थी, पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, रेंज, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 21.11.2025 को पारित याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आदेश रद्द किया जाता है; (बी) अनुशासनात्मक प्राधिकारी को तीन माह की अवधि के भीतर कार्यवाही और जांच पूरी करने की छूट होगी।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार निवेदन किया है कि वे भाग लेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किए गए हैं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

13 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।